HIMACHAL PRADESH ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION
SHIMLA

NOTIFICATION

Shimla, the February 28th, 2008

No.HPERC/609B.- In exercise of the powers conferred by sub-sections (6) and (7) of section 42 and section 181 of the Electricity Act, 2003 (36 of 2003) read with section 21 of the General Clauses Act, 1897 (10 of 1897) and all other powers enabling it in this behalf, the Himachal Pradesh Electricity Regulatory Commission, after previous publications, hereby makes the following regulations further to amend the Himachal Pradesh Electricity Regulatory Commission (Electricity Ombudsman) Regulations, 2004, published in the Rajpatra, Himachal Pradesh (Extraordinary), dated 5th April, 2004:-

REGULATIONS

1. **Short title and commencement.-** (1) These regulations may be called the Himachal Pradesh Electricity Regulatory Commission (Electricity Ombudsman) (Fourth Amendment) Regulations, 2008.

   (2)These regulations shall come into force from the date of their publication in the Rajpatra, Himachal Pradesh.

2. **Amendment of regulation 2.-** For clause (4) of regulation 2 of the Himachal Pradesh Electricity Regulatory Commission (Electricity Ombudsman) Regulations, 2004 (hereinafter called "the said regulations)", the following clause (4) shall be substituted, namely.-

   "(4) "complainant" means—
   (a) a consumer of electricity supplied by the licensee, including applicants for new connections;
   (b) any person whose electricity connection is disconnected;
   (c) a voluntary consumer association registered under the Companies Act, 1956 (1 of 1956) or under any other law for the time being in force;
   (d) one or more consumer, where there are numerous consumers having the same interest;
   (e) in case of death of a consumer his legal heirs or representatives;".

3. **Amendment of regulations 7,8,9,10,11,12 and 13.-** In regulations 7,8,9,10,11,12 and 13 of the said regulations for the words "aggrieved party" or "aggrieved persons", or "any person", or "persons", wherever these occur, the words "complainant" shall be substituted.

4. **Amendment of regulation 11**.- In sub-regulation (4) of regulation 11 of the said regulations, for the words "The parties to the proceedings will", the words "The distribution licensee shall" be substituted.

5. **Amendment of regulation 12.-** In sub-regulation (3) of regulation 12 of the said regulations for the words "the parties to the proceedings will", the words, "the licensee shall", be substituted.

6. **Omission of regulation 12-A.-** The existing regulation 12-A of the said regulations shall be omitted.

7. **Amendment of Form-I.-** In the existing Form-I to the said regulations for the word "Consumer" wherever it occurs, the word "Complainant" shall be substituted.

8. **Omission of Form I-A.-** The existing Form 1-A to the said regulations shall be omitted.

9. Amendments in the Himachal Pradesh Electricity Regulatory Commission (Conduct of Business) Regulations,2005.-

(a) in sub-regulation (1) of regulation 58, the word and sign comma "appeal," shall be omitted;
(b) in regulation 59, item (6) shall be omitted; and
(c) in the Schedule, item 13-A shall be omitted.

By order of the Commission,

Sd/-
Secretary.

हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग शिमला

अधिसूचना

शिमला–171002, **28 फरवरी 2008**

संख्याः एच0पी0ई0आर0सी0/609B.– असाधारण राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, दिनांक 5 अप्रैल, 2004 में प्रकाशित हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग (विद्युत ओम्बुडसमैन) विनियम, 2004 में और संशोधन करने हेतु विद्युत अधिनियम, 2003 (36 का 2003) की धारा 42 की उप–धारा (6) तथा (7) तथा धारा 181 के साथ पठित साधारण खण्ड अधिनियम, 1897(1897 का 10) की धारा 21 द्वारा प्रदत्त शक्तियों तथा इस निमित्त सशक्त करने वाली अन्य सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग, पूर्व प्रकाशन के उपरान्त, एतद्द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता हैः–

विनियम

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.**– (1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग (विद्युत ओम्बुडसमैन) (चतुर्थ संशोधन) विनियम, 2008 है।

   (2). ये विनियम राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, में इनके प्रकाशन की तारीख से लागू होंगें ।

2. **विनियम 2 का संशोधन.**– हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग (विद्युत ओम्बुडसमैन) विनियम, 2004 (जिन्हें इसमें ''उक्त विनियम'' कहा गया है) के विनियम 2 के खण्ड (4) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड (4) प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामतः–

(4) ''शिकायतकर्ता'' का अर्थ है–

(क) नये संयोजनों के लिए आवेदकों सहित वह उपभोक्ता, जिसे अनुज्ञप्तिधारी द्वारा विद्युत प्रदाय की हो;

(ख) ऐसा व्यक्ति जिसका विद्युत संयोजन काट दिया हो;

(ग) कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) या वर्तमान में लागू किसी भी अन्य कानून के अधीन पंजीकृत स्वैच्छिक उपभोक्ता संघ; या

(घ) एक या अधिक उपभोक्ता, जहां समान हित वाले बहुत सारे उपभोक्ता हों;

(ड.) किसी उपभोक्ता की मृत्यु की स्थिति में, उसका विधिक वारिस अथवा प्रतिनिधि;''।

3. **विनियम 7,8,9,10,11,12 तथा 13 का संशोधन.**—उक्त विनियमों के विनियम 7,8,9,10,11,12 तथा 13 में भाब्द ''व्यथित पक्षकार'' या ''व्यथित व्यक्ति'' या '' व्यक्ति'' जहां कहीं भी आये हों, के स्थान पर भाब्द ''शिकायतकर्ता'' प्रतिस्थापित किया जाएगा।

4. **विनियम 11 का संशोधन** .— उक्त विनियमों के विनियम 11 के उप–विनियम (4) में, शब्द "पक्षकार" के स्थान पर शब्द "वितरण अनुज्ञप्तिधारी" प्रतिस्थापित किया जाएगा ।

5. **विनियम 12 का संशोधन** .— उक्त विनियमों के विनियम 12 में उप–विनियम (3) में शब्द "पक्षकार" के स्थान पर शब्द **"**अनुज्ञप्तिधारी'' प्रतिस्थापित किया जाएगा ।

6. **विनियम 12–क का लोप.**— उक्त विनियमों के विनियम 12–क का लोप किया जाएगा।

7. **प्ररूप –क का संशोधन** .— उक्त विनियमों के प्ररूप–क में भाब्द ''उपभोक्ता'', जहां कहीं भी आया है, के स्थान पर भाब्द ''शिकायतकर्ता'' प्रतिस्थापित किया जाएगा।

8. **प्ररूप 1–क का लोप** .— उक्त विनियमों के प्ररूप–1–क का लोप किया जाएगा।

9. **हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग (कारवार संचालन) विनियम, में संशोधन.** — हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग (कारवार संचालन), 2005 विनियम, में.—

   (क) विनियम 58 के उप–विनियम (1) में भाब्द व चिन्ह ''अपील,'' का लोप किया जाएगा;

   (ख) विनियम 59 में मद (6) का लोप किया जाएगा; तथा

   (ग) अनुसूची में मद 13–क का लोप किया जाएगा।

आयोग के आदेश द्वारा

हस्ता/–
सचिव